



2026:AHC:60316

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10003 / 2026

दीपक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : सुधांशु कुमार सिंह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री एन.के. शर्मा, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 430 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 105, 115(2), थाना बाबेरु, जनपद बांदा में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक का सगा भाई है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। प्राथमिकी तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत सूचनादाता के बयान के अनुसार, आवेदक तीन अन्य के साथ मिलकर मृतक को *लाठी और डंडे* से पीटने का आरोपी है। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण सिर की चोट है। यह तर्क दिया गया है कि पक्षकारों के बीच पूर्व में कोई शत्रुता नहीं थी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घटना अचानक उकसावे के कारण क्षण भर में घटित हुई, हत्या करने की पूर्व नियोजित नीयत से नहीं। कथित घटना में आवेदक तथा सह-अभियुक्त श्रीमती राज कुमारी और भोला प्रसाद को भी चोटें आईं। आवेदक एवं दो अन्य अभियुक्तों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबुरा, बांदा पर चिकित्सीय जाँच हुई। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पक्ष को आई चोटों की व्याख्या करने में विफल रहा है, जो अभियोजन कथानक की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। अभियुक्त पक्ष को आई चोटों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह दोनों पक्षों के बीच अचानक हुए झगड़े का मामला था। आवेदक एवं दो अन्य सह-अभियुक्तों की चोटें सामूहिक रूप से शपथ-पत्र के अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न हैं। आवेदक को अस्पष्ट एवं सामान्य भूमिका दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस चरण में आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं है। आवेदक 10.10.2025 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु उपरोक्त प्रस्तुतियों का अभिलेख से संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनकर और अभिलेख का अवलोकन करते हुए, इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्राथमिकी तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत सूचनादाता के बयान के अनुसार आवेदक तीन अन्य के साथ मिलकर मृतक को *लाठी और डंडे* से पीटने का आरोपी है। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण सिर की चोट है। कथित घटना में आवेदक तथा सह-अभियुक्त श्रीमती राज कुमारी और भोला प्रसाद को भी चोटें आईं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पक्ष को आई चोटों की व्याख्या करने में विफल रहा है, जो अभियोजन कथानक की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। अभियुक्त पक्ष को आई चोटों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह दोनों पक्षों के बीच अचानक हुए झगड़े का मामला था। आवेदक को अस्पष्ट एवं सामान्य भूमिका दी गई है। इस चरण में आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक पाँच माह से अधिक समय से अभिरक्षा में रहा है और आरोप पत्र दाखिल हो जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र समापन की कोई आशा नहीं है, विशेषतः जब राज्य

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा यह कोई युक्तियुक्त आशंका नहीं व्यक्त की गई कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा या विचारण में विलंब करेगा या साक्षियों को डराएगा, प्रकरण की योग्यता पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

6. आवेदक - दीपक, जो उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा इसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करे, इस शर्त के अधीन कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा; तथा,
- (iii) अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

24 मार्च, 2026

एलबीएम/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)